निःशुल्क

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर (छ.ग.)

नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र

भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति

अनुसूचित जातियों के लिए

सत्र 20.....

आवेदक अपनी नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो हस्ताक्षर कर चस्पा करें

भाग (अ)

(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जाए)
अपूर्ण आवेदन–पत्र को निरस्त किया जावेगा

1. आवेदक का नाम श्री / श्रीमती / कुमारी .....
2. पिता / पति का नाम .....
3. अनुसूचित जाति / उप जाति .....धर्म.....
4. मूल निवासी राज्य – छत्तीसगढ़ जिला .....
5. पूरा स्थायी पता .....

   .....

   .....मोबाईल नं.....
6. बैंक खाता का विवरण बैंक का नाम.....

   ब्रांच का नाम / आई.एफ.एस.सी. कोड.....

   खाता संख्या.....
7. मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा से लेकर समस्त परीक्षाओं का विवरण दें (प्रमाण पत्रों / अंकसूचियों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई व्यवधान रिमार्क खाने में दर्शाया जाना चाहिए –

परीक्षा का नाम	संस्था / विश्वविद्यालय का नाम	जिस वर्ष में परीक्षा दी	प्राप्तांक / प्रतिशत	रिमार्क

8. पिछली कक्षा में प्राप्त छात्रवृत्ति का विवरण –
   अ. प्राप्त छात्रवृत्ति .....योजना का नाम.....
   ब. उस कक्षा का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति मिली थी.....वर्ष.....
   स. संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी.....
9. दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक ज्ञानार्जन केन्द्र (अध्ययन केन्द्र).....
   अ. वह पाठ्यक्रम जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है.....
   ब. पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश की तिथि .....
10. निम्नांकित प्रमाण पत्र संलग्न करें –
   अ. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की सवप्रमाणित प्रति।
   ब. वित्तीय वर्ष के आमदनी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   स. पिछली कक्षाओं की अंकसूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
11. कया आप कोई पूर्णकालिक सेवा करते हैं – हां/नहीं.....
12. यदि हां तो विवरण दें – .....
13. क्या आवेदक के परिवार में अन्य बच्चों को मैट्रिकोत्तर हां/नहीं.....
   छात्रवृत्ति मिलती है। यदि हां तो विवरण दें – .....
   छात्र का नाम.....कक्षा.....
   संस्था का नाम.....वर्ष.....

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनियम पढ़ लिए हैं तथा इस आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गये विवरण सही है। मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अंतिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिए अंतिम और बंधनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूंगा/करेगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी एह रकम ऐसे किसी भी तरीके से जो उचित समझे वसूल कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
पालक के हस्ताक्षर.....

स्थान..... पालक का पूरा नाम.....
दिनांक..... छात्र/आवेदक से संबंध.....
पिता/पालक का व्यवसाय .....

भाग (ब)

(दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक केन्द्र/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जाए)

1. पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक प्रवेश लिया है.....
2. आवेदक को चालू वर्ष में दिनांक.....से दिनांक.....
   के लिए शुल्क इस संस्था को रूपये.....(शब्दों में).....
   .....अनिवार्य फीस (छात्रावास का भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक शुल्कों को छोड़कर) का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

निःशुल्क

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर (छ.ग.)

नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र

भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति

अनुसूचित जन जातियों के लिए

सत्र 20.....

आवेदक अपनी नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो हस्ताक्षर कर चस्पा करें

भाग (अ)

(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जाए)
अपूर्ण आवेदन–पत्र को निरस्त किया जावेगा

1. आवेदक का नाम श्री / श्रीमती / कुमारी .....
2. पिता / पति का नाम .....
3. अनुसूचित जाति / उप जाति .....धर्म.....
4. मूल निवासी राज्य – छत्तीसगढ़ जिला .....
5. पूरा स्थायी पता .....

   .....

   .....मोबाईल नं.....
6. बैंक खाता का विवरण बैंक का नाम.....

   ब्रांच का नाम / आई.एफ.एस.सी. कोड.....

   खाता संख्या.....
7. मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा से लेकर समस्त परीक्षाओं का विवरण दें (प्रमाण पत्रों / अंकसूचियों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई ब्यवधान रिमार्क खाने में दर्शाया जाना चाहिए –

परीक्षा का नाम	संस्था / विश्वविद्यालय का नाम	जिस वर्ष में परीक्षा दी	प्राप्तांक / प्रतिशत	रिमार्क

8. पिछली कक्षा में प्राप्त छात्रवृत्ति का विवरण –
   अ. प्राप्त छात्रवृत्ति .....योजना का नाम.....
   ब. उस कक्षा का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति मिली थी.....वर्ष.....
   स. संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी.....
9. दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक ज्ञानार्जन केन्द्र (अध्ययन केन्द्र).....
   अ. वह पाठ्यक्रम जिसके लिए छात्रवृत्ति चाही गई है.....
   ब. पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश की तिथि .....
10. निम्नांकित प्रमाण पत्र संलग्न करें –
   अ. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की सवप्रमाणित प्रति।
   ब. वित्तीय वर्ष के आमदनी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   स. पिछली कक्षाओं की अंकसूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां।
11. कया आप कोई पूर्णकालिक सेवा करते हैं – हां/नहीं.....
12. यदि हां तो विवरण दें – .....
13. क्या आवेदक के परिवार में अन्य बच्चों को मैट्रिकोत्तर हां/नहीं.....
   छात्रवृत्ति मिलती है। यदि हां तो विवरण दें – .....
   छात्र का नाम.....कक्षा.....
   संस्था का नाम.....वर्ष.....

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनियम पढ़ लिए हैं तथा इस आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गये विवरण सही है। मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अंतिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिए अंतिम और बंधनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूंगा/करेगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी एह रकम ऐसे किसी भी तरीके से जो उचित समझे वसूल कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
पालक के हस्ताक्षर.....

स्थान..... पालक का पूरा नाम.....
दिनांक..... छात्र/आवेदक से संबंध.....
पिता/पालक का व्यवसाय .....

भाग (ब)

(दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक केन्द्र/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जाए)

1. पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक प्रवेश लिया है.....
2. आवेदक को चालू वर्ष में दिनांक.....से दिनांक.....
   के लिए शुल्क इस संस्था को रूपये.....(शब्दों में).....
   .....अनिवार्य फीस (छात्रावास का भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक शुल्कों को छोड़कर) का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

संस्था को आवेदक द्वारा देय वापस न की जाने वाली अन्य किसी अनिवार्य फीस का यहां उल्लेख किया जावे।

1. प्रमाणित किया जाता है कि –

अ आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जांची गई है एवं वह सही/गलत है जानकारी की दुरूस्ती लाल स्याही से अंकित है।

ब. पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक प्रवेश लिया है वह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत है/नहीं, यह संस्था छ.ग. शासन के द्वारा अधिनियम क्र.26/2004 के अंतर्गत स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 (F) के तहत मान्य है।

मैं वचन देता हूं प्राधिकारी द्वारा जब भी आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम मुझे सौंपी जाएगी वह जिस निश्चित उद्देश्य के लिए होगी उसका भुगतान उसी प्रकार किया जाएगा एवं पूर्ण लेखा– जोखा अधिकारी को नियमित रूप से भेजता रहूंगा। यदि आवेदक/संस्था छोड़ दें या पढ़ाई चालू न रखकर कोई अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार कर ले तो यह सब तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा और आवेदक की छात्रवृत्ति का भुगतान भी बंद कर दिया जावेगा। छात्रवृत्ति से संबंधित संस्था के पास बची अतिरिक्त राशि भी शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जाएगी।

प्रभारी अध्ययन केन्द्र के हस्ताक्षर एवं सील

नाम स्पष्ट अक्षरों में .....

पता .....

.....

क्षेत्रीय निदेशक/समन्वयक के हस्ताक्षर/सील

नाम स्पष्ट अक्षरों में.....

पता.....

.....

प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का हस्ताक्षर एवं सील

कुलसचिव

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़ बिलासपुर

प्रपत्र – 01

जाति एवं आय प्रमाण-पत्र

टीप :

1. इस प्रमाण पत्र पर या तो संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/नगर पालिका आयुक्त/नगर पालिका निगम या जिस मण्डल के किसी सदस्य या ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उस राज्य, संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिनका आवेदक वास्तव में निवासी है, शासन द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

2. यह प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छात्रवृत्ति मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है। अतः प्रमाण–पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए यह प्रमाण–पत्र दें।

पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूं–

1. श्री/श्रीमती/कुमारी.....पु./पुत्री/पत्नी.....

   का स्थायी निवासी.....

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....की जाति.....

   उपजाति.....धर्म.....है।

3. छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक की 31 मार्च 20.....को समाप्त होने वाले विगत वर्ष की समस्त श्रोतों से (आवेदक की आय हो तो सम्मिलित करते हुए) वार्षिक आय..... थी।

   पिता/माता/पति जीवित न होने पर ही पालक की आमदनी दर्शाई जाये।

प्रमाण पत्र देने वाले के हस्ताक्षर .....

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में .....

पदनाम .....

पता .....

मुहर/सील

श्री/श्रीमती/कुमारी पर प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारी की मुहर/सील न लगी हो।

प्रपत्र–02

आय संबंधी घोषणा-पत्र

(घोषणा–पत्र आवेदक के माता/पिता/पति/पालक द्वारा दिया जाए)

चूंकि मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित.....अभिभावक..... जो कि .....का छात्र/छात्रा है, मैंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

मैं श्री/श्रीमती.....आत्मज..... घोषणा करता हूं कि मेरी विगत वर्ष 31 मार्च 20.....तक कुल आमदनी सभी स्रोतों से रूपये..... थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि मेरे द्वारा धारित संपत्ति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र में दिए अनुसार है और मैंने अपने द्वारा भुगतान किए विभिन्न करों, उप–करों और भू राजस्व की रकम का सही रूप से उल्लेख किया है प्रस्तुत किए गए तथ्यों और आंकड़ों के लिए मैं अपने आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता हूं।

मैं यह भी वचन देता हूं कि इस घोषणा में दिए गए ब्यौरे असत्य पाए गए तो उक्त राशि..... छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण रकम भारत के राष्ट्रपति को लौटा दूंगा तथा घोषणा की असत्यता संबंधी शासन का निर्णय मेरे लिए अंतिम और बंधनकारी हो।

स्थान.....

दिनांक.....

.....

हस्ताक्षर पिता/पति/पालक

आय की घोषणा के सत्यापन के लिए सुझाई गई कार्य प्रणाली

अधिकांशतः आय की घोषणा का सत्यापन कार्यालयीन अभिलेखों को देखकर किया जाएगा, उदाहरणार्थ शासकीय कर्मचारियों या शासकीय सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में कार्य का सत्यापन नियोजकों से आय पूछकर किया जा सकता है। कृषकों के मामले में आय राजस्व अधिकारी से जानी जा सकती है। आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के मामले में आय, आयकर प्राधिकारियों के जरिये जानी जा सकती है। दुकानदारों के मामले में सत्यापन विक्रय कर आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है। विक्रयकर आंकड़ों से दुकानदारों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अनुसार खाद्यान के फुटकर विक्रेताओं को दस से पंद्रह प्रतिशत और थोक विक्रेताओं को पंद्रह से बीस प्रतिशत लाभ सामान्य माना जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनके अपने मकान है उनका वार्षिक भाड़ा मूल्य गृह द्वारा सरलता से जाना जा सकता है, जो कि भाड़ा मूल्य के आधार पर ही नियत किया जाता है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे भूमि अधिकारियों तथा छोटे–छोटे भू खण्डों के काश्तकारों या दोनों के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों के मामलों में आय मोटा अनुमान, स्वामी/काश्तकारों या दोनों के रूप में उनके द्वारा धारित भूमि का आकार तथा भमि की सीमा से और/या भू–राजस्व अभिलेखों की सहायता से लगाया जाता है।